राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1822/2009

आर. एन. बंजानी **–अपीलार्थी**

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. मुख्य अभियंता (मुख्यालय), जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 30.11.2009
आदेश की दिनांक : 08.09.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री राकेश कुमावत, अभिभाषक
प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी को उपार्जित अवकाश के भुगतान की राशि रूपये 1,79,679 /– पर सेवानिवृत्ति की दिनांक से भुगतान की दिनांक 19.02.2009 तक 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज प्रदान किया जावे।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी को दिनांक 28.04.2001 के आदेश द्वारा अनिवार्य सेवानिवृत्ति प्रदान की गई थी और अधिकरण के आदेश दिनांक 09.05.2006 के द्वारा आदेश को अपास्त किया गया। अपीलार्थी की अधिवार्षिकी सेवा आयु दिनांक 31.07.2002 है। अपीलार्थी के सेवानिवृत्ति पर उसे 300 दिवस का उपार्जित अवकाश देय था, परंतु विभाग द्वारा उपार्जित अवकाश का भुगतान नहीं किया गया, जिसके क्रम में अपीलार्थी ने दिनांक 17.11.2007 को अभ्यावेदन दिया और विभाग द्वारा 290 दिवस के उपार्जित अवकाश के नकद भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की। अपीलार्थी की सेवानिवृत्ति दिनांक 28.04.2001 अंकित की गई। आदेश दिनांक 09.05.2008 के द्वारा अपीलार्थी के शेष उपार्जित अवकाश की नकद राशि की स्वीकृति जारी की गई। परंतु विभाग द्वारा

अपीलार्थी को उक्त राशि का भुगतान दिनांक 19.02.2009 को किया गया और इस प्रकार अपीलार्थी को सेवानिवृत्ति के लगभग 8 वर्ष पश्चात् उपार्जित अवकाश का भुगतान दिनांक 19.02.2009 को किया गया। जबकि राजस्थान पेंशन नियम, 1996 के अनुसार किसी भी कर्मचारी/अधिकारी को सेवानिवृत्ति के पश्चात् सेवानिवृत्ति परिलाभों का भुगतान 60 दिवस में किया जाना चाहिए और अपीलार्थी को 8 वर्ष बाद उक्त भुगतान किया गया, जो नियम विरूद्ध है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी को उपार्जित अवकाश के भुगतान की राशि रूपये 1,79,679 /– पर सेवानिवृत्ति की दिनांक से भुगतान की दिनांक 19.02.2009 तक 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज प्रदान किया जावे।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील में लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी की जन्म तिथि के आधार पर अधिवार्षिकी आयु दिनांक 31.07.2002 को पूर्ण होती है और आदेश दिनांक 28.04.2001 के द्वारा अपीलार्थी को अनिवार्य सेवानिवृत्ति प्रदान की गई। उक्त आदेश को अधिकरण के आदेश दिनांक 09.05.2006 के द्वारा अपास्त किया गया है, परंतु राज्य सरकार द्वारा आगे अपील करने का निर्णय लिया गया, जिसके फलस्वरूप अपीलार्थी को दिनांक 30.04.2001 तक निर्वाह भत्ता दिया गया। अपीलार्थी के विभागीय जांच बकाया नहीं का प्रमाण पत्र जारी करने का प्रस्ताव प्रेषित किया गया और उसके निवास के पते पर रजिस्टर्ड डाक द्वारा पेंशन कुलक पूर्ण करवाने हेतु भेजे गए, परंतु कई बार जाने पर भी मकान पर कोई नहीं मिला और दिनांक 05.07.2008 द्वारा अपीलार्थी को पत्र जारी किया गया। पेंशन कुलक पूर्ण नहीं करने के फलस्वरूप पेंशन लाभ दिए जाने का प्रकरण पेंशन विभाग को समय पर भिजवाना संभव नहीं था। बकाया उपार्जित अवकाश के भुगतान का आदेश दिनांक 09.05.2008 को जारी किए जा चुके हैं। अपीलार्थी द्वारा पेंशन कुलक की पूर्ति में असहयोगपूर्ण रवैया अपनाए जाने के कारण विलम्ब हुआ है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण को ध्यानपूर्वक सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी को दिनांक 28.04.2001 के आदेश द्वारा अनिवार्य सेवानिवृत्ति प्रदान की गई थी। विभाग द्वारा 290 दिवस के उपार्जित अवकाश के नकद भुगतान करने की

स्वीकृति प्रदान की। अपीलार्थी की सेवानिवृत्ति दिनांक 28.04.2001 अंकित की गई। आदेश दिनांक 09.05.2008 के द्वारा अपीलार्थी के शेष उपार्जित अवकाश की नकद राशि की स्वीकृति जारी की गई। परंतु विभाग द्वारा अपीलार्थी को उक्त राशि का भुगतान दिनांक 19.02.2009 को किया गया। हम प्रत्यर्थी विभाग के इस तर्क से सहमत हैं कि आदेश दिनांक 28.04.2001 के द्वारा अपीलार्थी को अनिवार्य सेवानिवृत्ति प्रदान की गई। उक्त आदेश को अधिकरण के आदेश दिनांक 09.05.2006 के द्वारा अपास्त किया गया है, परंतु राज्य सरकार द्वारा आगे अपील करने का निर्णय लिया गया, जिसके फलस्वरूप अपीलार्थी को दिनांक 30.04.2001 तक निर्वाह भत्ता दिया गया। अधिकरण के आदेश दिनांक 09.05.2006 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी ने दिनांक 10.05.2001 को अधिकरण के समक्ष अनिवार्य सेवानिवृत्ति आदेश को चुनौती दी, जिसके क्रम में अपीलार्थी एवं सरकार के तथ्यों/बहस के आधार पर आदेश दिनांक 09.05.2006 को जारी किया गया। तदुपरान्त विभाग द्वारा अपीलार्थी के संबंध में पेंशन प्रकरण पूर्ण करने की कार्यवाही की गई। तदुपरान्त अपीलार्थी के निवास के पते पर रजिस्टर्ड डाक द्वारा पेंशन कुलक पूर्ण करवाने हेतु दिनांक 09.05.2008, 09.06.2008 एवं 05.07.2008 को पत्र भेजे गए, परंतु अपीलार्थी द्वारा पेंशन कुलक की पूर्ति में असहयोगपूर्ण रवैया अपनाए जाने के कारण विलम्ब हुआ है। बकाया उपार्जित अवकाश के भुगतान का आदेश दिनांक 09.05.2008 को जारी किए जा चुके हैं। अधिकरण के आदेश पारित होने के उपरांत 2 वर्ष पश्चात् विलम्ब से किए गए भुगतान पर ब्याज नहीं दिए जाने का प्रश्न है, ऐसी स्थिति में हम यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थी द्वारा अपील में वर्णित आधारों पर प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी को आदेश जारी होने की दिनांक से दो सप्ताह में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे और प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जाते हैं कि राज्य सरकार के नियमों/परिपत्रों/दिशा–निर्देशों तथा न्यायिक दृष्टांतों को ध्यान में रखते हुए दो माह में अभ्यावेदन का निस्तारण करें, जिसकी सम्यक सूचना अपीलार्थी को दी जावे।

अतः अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र के अंतिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य